उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-52/934 /एक-1-2015-5(19)/2012
लखनऊ: दिनॉक: 31 अगस्त 2015

<u>अधिसूचना</u>

राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-314/एक-1-2012-5(19)/2012, दिनॉक 26.08.2012 द्वारा ग्राम सभा की कुल 505 गाटा रकबा 31.1216 हे0 भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु स:शुल्क कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्ग्रहीत की गयी है।

2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र संख्या-5598/डी.एल.आर.सी. दिनॉक 19.03.2015 द्वारा निम्नांकित संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	अधिसूचना दिनॉक 28;08;2012 में उल्लिखित गाटा संख्या	संशोधित गाटा संख्या	संशोधित भूमि की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद	मेजा	खैरागढ़	सेमहन	969	696	रास्ता
2;		करछना	अरैल	बरामार	254	264	चकमार्ग

3. प्रश्नगत प्रकरण में समयक विचारोपरान्त राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-314/एक-1-2012-5(19)/2012, दिनॉक 26.08.2012 को प्रस्तर-2 में उल्लिखित सीमा तक संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: अधिसूचना दिनॉक 26.08.2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

4. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, पुनर्ग्रहण करते हुए

shasnadesh.up.nic.in

रेलवे विभाग, भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद	करछना	अरैल	चकपूरेमियां खुर्द	78	0.0486	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
				योग	कुल 01 गाटा	0.0486 हे0	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-934(1)/ एक-1-2015-5(19)/2012, तद् दिनॉक।

5. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-7242/डी.एल.आर.सी., दिनॉक 11.06..2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनॉक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल 01गाटा रकबा 0.0486 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-

-3-

shasnadesh.up.nic.in

प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉंछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा रेलवे विभाग, भारत सरकार को दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

7. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना की स्थापना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-चकमार्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन बाधित नहीं किया जायेगा।

8. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉंक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-934(2)/एक-1-2015-5(19)/2012 तद् दिनॉंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
4- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in